न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–10/2010/भीलवाड़ा (2010/00028)

1. कल्याण पुत्र किशोर, जाति धाकड़, नि0 भगुनगर, तह0 जहाजपुर जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. परमेश्वर पुत्र देवकिशन,
2. नृसिंग पुत्र देवकिशन,
3. दुर्गाशंकर पुत्र देवकिशन,
   नाबालिगान बबिलायत पिता देवकिशन धाकड़, नि0 फलासिया, तह0 जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जहाजपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 24.12.2009 प्रकरण संख्या 84/2009।

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री रमजान मोहम्मद, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–5.10.2017

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2009 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट कल्याण ने अधी0न्याया0 में तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 554 निर्णय दिनांक 10.8.2007 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट एवं उसके भाईयों के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1/2 रकबा 1.12 बीघा व खसरा नंबर 1/11 रकबा 18 बीघा, खसरा नंबर 6/1 रकबा 19.10 बीघा, खसरा नंबर 156 रकबा 4.13 बीघा किता 4 कुल रकबा 26.13 बीघा में से 1/4 हिस्सा ग्राम भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित है । अपील में पारिवारिक सजरा अंकित करते हुए कथन किया कि हजारी के कोई पुरूष संतान नहीं होने एवं अपीलांट छोटा भाई होने के कारण हजारी हमेशा अपीलांट के पास ही रहा व अपीलांट ने हजारी की जीवनभर सेवा पुत्रवत् की है । हजारी ने अपने जीवनकाल में अपने हक व कब्जे की समस्त आराजियात अपीलांट को सौंप दी थी, तब से ही हजारी के हक व हिस्से की समस्त आराजियात को अपीलांट निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है । स्व0 हजारी ने अपीलांट को अपना उत्तराधिकारी मानते हुए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने मौखिक वसीयत कर दी थी । हजारी के एकमात्र पुत्री अनोपी की मृत्यु करीब 10-11 वर्ष पहले हो चुकी है । दिनांक 13.3.2006 को हजारी की मृत्यु हो गई है । अपीलांट ने स्व0 हजारी का अंतिम संस्कार क्रिया कर्म सम्पन्न किये एवं समाज के रीति-रिवाज के अनुसार पगड़ी भी अपीलांट ने बांधी थी । हजारी की मृत्यु के बाद उसके हक व कब्जे की आराजियात अपीलांट के नाम विरासत से दर्ज होना चाहिये थी लेकिन राजस्व अधिकारियों ने विस्तृत जांच किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना दिनांक 10.8.2007 को नामांतकरण संख्या 554 रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 554 अपास्त किया जावे परन्तु अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 24.12.2009 द्वारा अपीलांट की अपील को अपास्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि मृतक हजारी की पुत्री अनोपी का स्वर्गवास हजारी के स्वर्गवास के 10-11 साल पूर्व हो गया था । हजारी द्वारा अनोपी का स्वर्गवास होने के बाद गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मुख अपने हिस्से की आराजी व अन्य चल-अचल सम्पति की मौखिक वसीयत अपीलांट के नाम कर दी थी व मृतक हजारी की आजीवन सेवा-सुश्रषा अपीलांट ने ही की थी तथा हजारी की मृत्यु के बाद हजारी के क्रियाक्रम

अपीलांट के द्वारा ही किये गये थे । अपीलांट मृतक हजारी का छोटा भाई होने से उसके समाज के रीति–रिवाज अनुासर पगड़ी अपीलांट के बांधी गई थी । अपीलांट हजारी के जीवनकाल से उसके हिस्से की आराजियात पर काबिज काश्त चला आ रहा है । मृतक हजारी की आराजियात के संबंध में नामांतकरण आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार को अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 में पुत्री के पुत्र व पुत्रियों को भी प्रथम श्रेणी के वारिस में माना गया है एवं इसके आधार पर हजारी के दोहिते के पक्ष में नामांतकरण को सही स्वीकार किया जाना मानकर निर्णय पारित करने में अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है, क्योंकि तहसीलदार, जहाजपुर ने नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की एवं ना ही अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया है तथा ना ही विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई जांच ही की गई है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा वसीयत प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर निर्णय पारित किया है किन्तु अधी0न्याया0 में भी अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे वह अपना पक्ष साबित नहीं कर सके थे । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अतिरिक्त जिला कल्क्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2009 एवं नामांतकरण संख्या 554 दिनांक 10.8.2007 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 2 व 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित भूमि में हजारी पुत्र किशोर 1/3 हिस्से का खातेदार है । हजारी के पिता किशोर के तीन पुत्र क्रमशः मोती, हजारी एवं कल्याण हुए । मोती पुत्र किशोर फौत हो चुका है जिसके वारिसान बरजी, गोपी, मगना व देबी है । हजारी भी फौत हो चुका है जिसकी पुत्री अनोपी थी तथा अनोपी की भी मृत्यु हो चुकी है एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अनोपी के पुत्र होकर मृतक हजारी के दोहिते है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 के अनुसार मृतक हजारी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है । अनोपी की मृत्यु उपरांत तहसीलदार ने हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 6 के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामांतकरण संख्या 554 तस्दीक किया है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट मृतक हजारी का भाई है जो अपने आपको हजारी के गोद जाना बताता है किन्तु गोद जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण की कार्यवाही में गोद जैसे जटिल विषय का निस्तारण नहीं किया जा सकता है । दोनों अधी0न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के सेक्शन 6

एवं 8 का विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलांट का अपील में मुख्य कथन यह है कि अपीलांट मृतक हजारी का भाई है तथा अपीलांट ने ही मृतक हजारी की उसके जीवनकाल में सेवा सुश्रषा की थी जिससे हजारी ने अपने जीवनकाल में अपीलांट के पक्ष में समाज के समक्ष उसकी समस्त चल व अचल सम्पति की मौखिक वसीयत कर दी थी जिसके आधार पर अपीलांट के पक्ष में मृतक हजारी की आराजियात का विरासत नामांतकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एवं ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के दौरान उसके पक्ष में वसीयत किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है । इसके विपरीत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 मृतक हजारी की पुत्री मृतक पुत्री अनोपी के पुत्र है तथा इस तथ्य को अपीलांट स्वंय ने भी अपने अपील मीमों में स्वीकार किया है । इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 में वर्णित प्रथम श्रेणी के वारिसान की सूची के अनुसार ''पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री का पुत्र, पूर्वमृत पुत्री की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री की विधवा, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा'' को प्रथम श्रेणी के वारिसान माना गया है । चूंकि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 खातेदार हजारी की पुत्री मृतक अनोपी के पुत्र होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 की सूची अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार, जहाजपुर ने मृतक हजारी की विरासत का नामांतकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की की धारा 8 के तहत रेस्पो0 के पक्ष में विरासत का नामांतकरण तस्दीक किया है जो विधिसम्मत् है । प्रकरण में अपीलांट का यह तर्क रहा है कि हजारी ने अपीलांट को विवादित आराजियात की वसीयत कर दी थी किन्तु अपने कथन के समर्थन में अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है एवं वैसे भी नामांतकरण की कार्यवाही में वसीयत की वैधता का परीक्षण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 554 दिनांक 10.8.2007 एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.12.2009 में हम कोई विधिक एवं तत्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 10/2010 (2010/00028) बउनवानी कल्याण बनाम परमेश्वर को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 84/2009 बउनवान कल्याण बनाम परमेश्वर एवं तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 554 दिनांक 10.8.2007 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 5.10.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर